न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 162/2022 राजस्व वाद

1. गोरधन पुत्र स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मेवा पुत्र स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. रायमल पुत्र स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. नाथी पुत्री स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. देऊ पुत्री स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मैमा पुत्री स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. .कंकू पुत्री स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. श्रीमती फेफी पत्नी स्व0 श्री नैना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. बालू पुत्र श्री बन्ना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 02
3. एकपक्षीय ——प्रतिवादी संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांक– 20.02.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88,89,92–क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 303 तीन सौ तीन मे आराजी नम्बर 624 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 625/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात, अन्य आराजियात के साथ वादीगण के पिता व पति नैना पुत्र श्री बन्ना गुर्जर को दिनांक 18 अठारह सितम्बर 2006 दो हजार छह को अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा विकय कर कब्जा सिपुर्द किया। उक्त से वादीगण के पिता व पति नैना जी गुर्जर काबिज थे व उनके देहान्त के बाद वादीगण काबिज होकर उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 01 नवम्बर 2022 को प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल करने की कोशिश की व जमीन अपने नाम पर दर्ज होने से वादीगण को बेदखल करने की कोशिश की, इस पर वादीगण द्वारा कहा कि उक्त जमीन मे तुम्हारा हक हिस्सा क्रय कर रखा है। इस पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की व जानकारी की तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पिता व पति को विक्रय कर देने के बावजूद भी वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम पर दर्ज रह गयी, जबकि इनका कोई हक अधिकार नही रहा है। इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहने पर दिनांक 07 सात नवम्बर 2022 दो हजार बाईस को साफ तौर इंकार कर दिया व अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश हुई है। सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 303 तीन सौ तीन मे आराजी नम्बर 624 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 625/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पिता व पति नैना पुत्र श्री बन्ना गुर्जर को दिनांक 18 अठारह सितम्बर 2006 दो हजार छह को किये गये विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 एक का नाम विलोपित करा, वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक उक्त गलत अंकन की आड़ मे वादीगण को जबरन बेदखल कर देगे व अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण कर देगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण बाद तामिल कोई उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व वादी द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपना स्वयं का मौतबीरान व्यक्तियो के शपथपत्र भी पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये।

वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 624 रकबा 0.0759 हैक्टयर व आराजी नम्बर 625/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अन्य आराजियात के साथ उक्त आराजियात के मूल नम्बर 624 एवं 625 मे अपना निहित सम्पूर्ण हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18/09/2006 के विक्रय किया गया है। उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे गलत तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज रह गयी है, उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण के पिता व पति नेना गुर्जर द्वारा क्रय करना साबित व साथ ही वादी व मौतबीरान स्वतंत्र गवाहान के अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 303 तीन सौ तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मे आराजी नम्बर 624 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 625/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित करा, उक्त आराजियात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(मनमोहन मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:43 IST
Reason: SelfAttested